राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या-1945/2014/नागौर

माणक चन्द पुत्र श्री गणपत मल जैन, जाति–जैन, निवासी–छोटी खाटू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर

...प्रार्थी

बनाम

- 1. राजस्थान सरकार जरिये उप-पंजीयक, डीडवाना
- 2. श्री ताराचन्द पुत्र सुखदेवाराम, जाति—जाट, निवासी—खीरोड़, तह0—नवलगढ, जिला झुंझूनू बहैसियत कोषाध्यक्ष श्री श्याम चेरिटेबल सोसायटी झोटवाड़ा, जयपुर संचालक महात्मा गांधी विद्यालय, डीडवाना, जिला—नागौर

...अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :


श्री अजीत लोढा अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उप-राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित

...प्रार्थी संख्या 1 की ओर से ...अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.07.2017


निर्णय

- 1. प्रार्थी द्वारा यह निगरानी कलक्टर (मुद्रांक), वृत अजमेर (जिसे आगे 'कलक्टर मुद्रांक' कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 13.10.2014 प्रकरण संख्या 340 / 14 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।
- 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी माणकचन्द जैन व अप्रार्थी संख्या दो ताराचन्द के मध्य लीज डीड दस्तावेज दिनांक 19.04.2012 को निष्पादित कर, उप पंजीयक डीडवाना के समक्ष पंजीयन हेतु पेश किया। उप पंजीयक द्वारा उक्त दस्तावेज की मालियत रू० 1,92,000/—निर्धारित की जाकर दस्तावेज संख्या 1784/12 पर पंजीबद्ध किया जाकर सम्बन्धित पक्षकारान को लौटा दिया। तदुपरान्त महालेखाकार जांच दल अवधि 04/10 से 3/13 के अनुसार दस्तावेज की मालियत रू० 2,32,960/—मानी जाने से उप पंजीयक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को अन्तर राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर, मुद्रांक अधिनियम की धारा 51ए(2ए) के अन्तर्गत रेफरेंस कलक्टर मुद्रांक को प्रेषित किया गया। कलक्टर मुद्रांक ने उप—पंजीयक की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकार को नोटिस जारी किया गया तत्पश्चात आदेश



दिनांक 13.10.2014 द्वारा रेफरेंसानुसार मालियत निर्धारित करते हुए कमी मुद्रांक 8,582/—, पंजीयन शुल्क रू० 409/—एवं शास्ति रू० 5,400/— तथा ब्याज रू० 3,310/— कुल रू० 17,701/—अप्रार्थी संख्या दो से वसूल किये जाने का आदेश पारित किया गया। कलक्टर मुद्रांक के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी पेश की गयी है।

- 3. अप्रार्थी संख्या दो बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस जारी सूचना के अनुपस्थित रहा है।
- प्रार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क किया कि प्रश्नगत दस्तावेज लीज डीड 8000 / - रू० प्रतिमाह की दर से तीन वर्ष हेतू निष्पादित कराकर दिनांक 19.04.2012 को पंजीबद्ध करवायी थी। लीज डीड का पंजीयन राजस्थान की अधिसूचना संख्या एफ.4(4) सरकार वित्त विभाग(कर अनुभाग) एफडी / कर / 2003-223 जयपुर दिनांक 05.03.2003 के अनुसरण में एक वर्ष के औसत किराये की राशि को 2 प्रतिशत व्यावसायिक मामले में औसत राशि रू0 1,20,600 / - का 2 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर रू० 3,440 / -,पंजीयन शुल्क रू० 2,412 / -बनता था जबिक किराया रू० 1,92,200 / -मानकर मुद्रांक शुल्क रू० 3,440 / - व पंजीयन शुल्क अलग से वसूल कर दस्तावेज पंजीबद्ध किया था, इसके बावजूद भी ऑडिट आक्षेप के इस बिन्दू पर कि लीज डीड के निष्पादन पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर लिया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेंस विधिविरूद्ध स्वीकार करते हुए दस्तावेज की मालियत रू० 2,32,960 / - मानते हुए 12,812 / - मुद्रांक कर, 2,329 / - पंजीयन शुल्क व शास्ति 5,400 / - तथा ब्याज रू० 3,310 / - आरोपित की है तथा पूर्व में अदा किये गये मुद्रांक कर, पंजीयन शुल्क आदि को कम करते हुए शेष राशि रू० 17,701/- वसूल किये जाने के आदेश दिये है जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उप पंजीयक डीडवाना द्वारा महालेखाकार लेखा परीक्षण के आधार पर की गई गणना को ही आधार मानकर प्रेषित रेफरेंस को ह्बहू तौर पर बिना अपना विधिक मस्तिष्क उपयोग किये बगैर अपने आक्षेपित आदेश से रेफरेंस स्वीकार करने में विधिक भूल की है।
- 5. अप्रार्थी संख्या एक की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को विधसम्मत बताते हुए, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
- 6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :--



- 7. निगरानी में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि लेखा जांच दल के निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 के तहत अनुसूची के आर्टिकल 33(a)(ii) के अनुसार एक वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष के कम अविध की लीज डीड पर 2 वर्ष के औसत किराये पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर प्रभीय होगा या प्रकरण में अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 के अनुसार देय छूट के आधार पर 1 वर्ष के औसत किराए पर व्यवसायिक मानकर 2 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर देय होगा।
- 8. सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 नये अधिनियम में लागू होगी या नहीं क्योंकि यदि अधिसूचना लागू नहीं होती है तो राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 33(सी)(i) के अनुसार दो वर्ष के औसत किराये व प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य को प्रतिफल मानते हुए कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर देय होगा तथा यदि अधिसूचना लागू मानी जाती है तो दो वर्ष के स्थान पर 1 वर्ष के औसत किराये व प्रीमियम आदि को प्रतिफल मानते हुए 2 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर देय होगा।
- 9. अधिसूचना दि. 05.03.2003 निम्न प्रकार है :--

राजस्थान सरकार वित्त विभाग (कर अनुभाग)

सं.एफ.4(4)एफडी / कर / 2003-223

जयपुर, दिनांक 05.03.2003


(180) अधिसूचना

एस.ओ. 434—राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 (1952 का राजस्थान अधिनियम संख्या 7) द्वारा राजस्थान के लिए यथा अनुकूलित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 को केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 9 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा आदेश देती है कि बीस वर्ष से कम की अविध के पट्टा अथवा उप—पट्टा अथवा किराया अथवा उप किराया का कोई करार, जिसमें सम्पूर्ण पट्टा अविध अथवा उप—पट्टा अविध के लिये किराये की दर निश्चित है और प्रीमियम का संदाय या अदायगी नहीं हुई है, कि लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार वसूलनीय होगा।

- (1) आवासीय प्रयोजनों के मामले में लीज की सम्पूर्ण अवधि के लिए, एक वर्ष के औसत किराये की राशि का एक प्रतिशत।
- (2) व्यावसायिक अथवा अन्य मामले में —लीज की सम्पूर्ण अवधि के लिए, एक वर्ष के औसत किराये की राशि का दो प्रतिशत।

यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत होगा।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 के अन्तर्गत The Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Act, 1952 की द्वितीय अनुसूची में लीज से संबंधित भाग निम्न प्रकार था :--




The Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Act, 1952 (The second schedule)

| Article-35. Lease, including and under lease, or sub-lease and any agreement to let or sub-let— (a) Where by such lease, the rent is fixed and no premium is pid or delivered— | |
|---|---|
| (i) Where the lease purports to be for a term for less than one year; | The same duty as on a Bond (No. 15) for the whole amount payable or deliverable under such lease. |

| (ii) Where the lease purports to be for a term of not less than one year hut not more than three years; | The same duty as on a Bond (No. 15) for a consideration equal to the amount or value of the rent which would be paid or delivered for a period not exceeding two years. |
|---|---|
| (iii) Where the lease purports to be for a term in excess of three years; | The same duty as on a conveyance (No.23) for a consideration equal to the amount or value of the rent which would be paid or delivered for the total period of lease subject to a maximum period of two years. |
| (iv) Where the lease does not purports to be for any definite term. | The same duty as on a conveyance (No.23) for a consideration equal to the amount or value of the average annual rent which would be paid or delivered for the first ten years, if the lease continued so long. |
| (v) Where the lease purports to be in perpetuity. | The same duty as on a conveyance (No.23) for a consideration equal to one fifth of the whole amount of rents which would be paid or delivered in respect of the first fifty years of the lease. |
| (b) Where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced or development charges advanced and where no rent is reserved. | The same duty as on a conveyance (No.23) for a consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as setforth in the lease |
| (c) Where the lease is granted for a fine or permium or for money advanced or development charges advanced in addition to rent reserved. | The same duty as on a conveyance (No.23) for a consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as setforth in the lease, in addition to the duty which would have been payable on such lease, if no fine or premium or advance had been paid or delivered: Provided that in any case when an agreement to lease, is stamped with the advalorem stamp required for a lease, and a lease in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such lease shall not exceed ten rupees. |

उपरोक्त अनुसूची के आर्टिकल 35(c) के अनुसार नजराने या प्रीमियम या अग्रिम दिये गये धन के प्रतिफल पर मुद्रांक कर व साथ ही नजराने या प्रीमियम या अग्रिम दिये गये धन का प्रावधान न होने पर ऐसे दस्तावेज पर देय मुद्रांक कर के बराबर कुल मुद्रांक कर देय होने का प्रावधान है। नजराने या प्रीमियम या अग्रिम दिये गये धन का प्रावधान न होने पर ऐसे दस्तावेज जिसकी लीज अवधि 3 वर्ष से अधिक है परन्तु जो निरन्तरता या जिसमें निश्चित समय का प्रावधान नहीं हो पर देय मुद्रांक कर आर्टिकल 35(a)(iii) के अनुसार 2 वर्ष के किराये पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर देय है।


em



उपरोक्त आर्टिकल 35 व अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 से मुद्रांक कर में दो बिन्दुओं पर छूट दी गई है, प्रथम मुद्रांक कर दो वर्ष या अधिक के किराये पर देय है के स्थान पर 1 वर्ष के किराये पर देय होगा व द्वितीय मुद्रांक पर की दर कन्वेन्स के स्थान पर व्यवसायिक प्रकरणों में 2 प्रतिशत देय होगा। इस अधिसूचना में अन्य कोई छूट का बिन्दु नहीं है।

10. भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 के अन्तर्गत The Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Act, 1952_की द्वितीय अनुसूची में लीज से संबंधित भाग नये अधिनियम राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची में आर्टिकल 33 निम्न प्रकार है :—

| 33. Lease Including an underlease, or | |
|---|--|
| sublease and any agreement to let or sublet, (a) where by such lease, the rent is fixed and | |
| no premium is paid or delivered, | |
| (i) Where the lease purports to be for a term | The same duty as on a Bond (No. 14) for the |
| for less than one year, | whole amount payable under such lease. |
| (ii) Where the lease purports to be for a term of not less than one year but not more than twenty years, | The same duty as on a conveyance (No. 21) for a consideration equal to the amount or value of the average rent of two years |
| (iii) Where the lease purports to be for a term in excess of twenty years or in perpetuity or where the term is not mentioned. | The same duty as on a conveyance (No. 21) on the market value of the property which is the subject matter of the lease. |
| Explanation: (a) The term of a lease shall include not only the period stated in the document but shall be deemed to be the sum of such stated period along with all previous periods immediately preceding this without a break for which the lessee and lessor remained the same. | |
| [(b) Where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced or development charges advanced or security charges advanced and where no rent is reserved. | |
| (i) Where the lease purports to be for a term of not more than twenty years. | The same duty as on a conveyance (No. 21 for a consideration equal to the amount of value of such fine or premium oadvance as set forth in the lease. |
| (ii) Where the lease purports to be for a term in excess of twenty years or in perpetuity or where the term is not mentioned. | The same duty as on a conveyance (No. 21) on the market value of the property which is the subject matter of the lease. |
| (c) Where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced or development charges advanced or security charges advanced in addition to rent reserved.— | |
| (i) Where the lease purports to be for a term of not more than twenty years. | The same duty as on a conveyance (No. 21) for a consideration equal to the amount or value of such fine premium, or advance and amount of average rent of two years as set forth in the lease. |
| (ii) Where the lease purports to be for a term in excess of twenty years, or in perpetuity or where the term is not mentioned. | The same duty as on a conveyance (No. 21) on the market value of the property which is the subject matter of the lease.] |
| | am/ लगातार लगातार |




उपरोक्त विधिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि नये अधिनियम में आर्टिकल 33(सी)(i) के अनुसार पट्टा 20 वर्ष से अधिक अविध के लिए हो तो उस पर मुद्रांक कर नजराने प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के और पट्टे में वर्णित 2 वर्ष के औसत किराये की रकम के बराबर प्रतिफल पर कन्वेन्स की दर से देय है। विचाराधीन प्रकरणों के दस्तावेजों में किराये की व्यवस्था है तथा लीज अविध 3 वर्ष है अर्थात् 20 वर्ष से कम है।

- 11. उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना वर्तमान अधिनियम के असंगत है या नही तथा इसका लाभ विचाराधीन प्रकरणों के दस्तावेजों पर पर देय है या नही, के संबंध में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91 (2) का अवलोकन किया जाता है जो निम्न प्रकार है:—
 - 91. Repeal and Savings —
- (2) Any appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under the enactment hereby repealed shall be deemed to have been made or issued under the provisions of this Act, in so far as such appointment, notification, notice, order, rule or

form is not inconsistent with the provisions of this Act and shall continue in force, unless and until it is superseded by an appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under this Act. इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि पुराने अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई कोई अधिसूचना नये अधिनियम में तब तक लागू होगी जब तक कि यह अधिसूचना अतिष्टित (Superseded) न कर दी जावें। अधिसूचना दिनांक 09.07. 1998 को प्रत्याहारित करने के संबंध में राज्य पक्ष की ओर से कोई परिपन्न या अधिसूचना या विधिक प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 9 (1) निम्न प्रकार है:—


- 9 Power to reduce, remit or compound duties
- (1) The Government, if satisfied that it is necessary to do so in the public interest, may by rule or order published in Official Gazette, reduce or remit, whether prospectively or retrospectively, in the whole or any part of the territories under its administration, the duties with which any instruments or any particular class of instruments, or any of the instruments belonging to such class, or any instruments when executed by or in favour of any particular class of persons, or by or in favour of any member of such class are chargeable. इस प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार को जनहित में शुल्क को कम करने की शक्तियाँ प्रदत्त है। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998



भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत जारी की गई है जिसमें भी राज्य सरकार को शुल्क कम करने की शक्तियाँ थी। इस प्रकार जिन शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत शुल्क में रियायत की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 जारी की गई है, वही शक्तियाँ राज्य सरकार को राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त है तथा यह अधिसूचना नये अधिनियम के अन्तर्गत असंगत नहीं मानी जा सकती।

इस संबंध में मुद्रांक विभाग द्वारा ली गई विधिक स्थिति हेतु महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर का परिपत्र संख्या 24/2015 क्रमांक : एफ 7(39)जन / मार्गदर्शिका / 2015 / पार्ट / 4671 दिनांक 17.06.2015 अवलोकनीय है जो निम्नुसार है :- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05. 2004 से पूर्व लागू राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत दी गई मुद्रांक शूल्क की रियायतें वर्तमान में प्रभावी होने के संबंध में :- "राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प.2(50)वित / कर / 10 दिनांक 01.12.2010 द्वारा विधि विभाग की राय के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि राज. स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91(2) के अनुसार राजस्थान स्टाम्प लॉ (अडपटेशन) एक्ट, 1952 (भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899) के प्रावधानों के अधीन जारी अधिसूचनायें नये अधिनियम में भी जारी की गई समझी जावेगी, जब तक की वे वर्तमान अधिनियम, 1998 के प्रावधानों से असंगत न हों। पूर्व अधिनियम में स्टाम्प शुल्क को कम करने की शक्तियां राज्य सरकार को थी तथा नये अधिनियम की धारा 7 में भी ये शक्तियां राज्य सरकार को प्राप्त है। राज्य सरकार के उपरोक्त मार्गदर्शन से यह स्पष्ट है कि पूर्व अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क मे रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी हैं।"

विभाग स्वयं द्वारा ली गयी उपरोक्त विधिक धारणा से भी स्पष्ट है कि मुद्रांक शुल्क मे रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी है। राज्य पक्ष की ओर से ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि वित्त विभाग (कर अनुभाग) द्वारा जारी अधिसूचना सं.एफ.4(4)एफडी/कर/2003—223 जयपुर, दिनांक 05.03.2003 प्रत्याहारित या अतिष्टित कर दी गई है व न ही ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि यह अधिसूचना वर्तमान में प्रभावी नहीं है। इस प्रकार इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का लाभ इन दस्तावेजों पर देय है क्योंकि इस



दस्तावेज में प्रीमीयम संदाय का कोई उल्लेख नहीं है तथा अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 में उन प्रकरणों में छूट दी गई है जिनमें किराये की दर निश्चित है या प्रीमीयम का संदाय या अदायगी नहीं हुई है। अधीसूचना में प्रीमीयम का संदाय या अदायगी नहीं हुई, का उल्लेख है परन्तु इस अधिसूचना में प्रीमीयम के साथ आर्टिकल 33(c) के अन्य बिन्दु यथा अग्रिम दिये गए धन या अग्रिम दिये गए विकास प्रभारों या अग्रिम दिये गए प्रतिभूति प्रभारों का कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह धारणा ली जायेगी कि यदि दस्तावेज में किराये की व्यवस्था है व प्रीमीयम की व्यवस्था नहीं है तो अधिसूचना का लाभ देय होगा तथा यदि प्रीमीयम के अलावा अन्य किसी राशि का संदाय हुआ है तो उस पर सामान्य दर से बिना छूट के मुद्रांक कर आदि की देयता होगी। अधीनस्थ न्यायालय ने मुद्रांक कर 2 वर्ष के औसत किराये के स्थान पर 1 वर्ष के औसत किराये एवं कन्वेन्स की दर के स्थान पर व्यवसायिक प्रयोजन में अधिसूचना के अनुसार 2 प्रतिशत की दर से वसूल किये जाने के आदेश दिये हैं तथा इस न्यायालय के विनम्र मतानुसार किराये की अवधि 2 वर्ष के स्थान पर एक वर्ष के किराये पर कन्वेन्स के स्थान पर 2 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर वसूल किया जाना विधिसम्मत है।

- 12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन प्रकरण से सम्बन्धित दस्तावेज पर वित्त विभाग (कर अनुभाग) की अधिसूचना सं.एफ.4(4) एफडी / कर / 2003—223 जयपुर, दिनांक 05.03.2003 के अनुसरण में छूट का लाभ देय होने के कारण 1 वर्ष के औसत किराये पर 2 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर वसूलनीय है तथा रेफरेन्स का यह आधार विधिसम्मत नहीं है कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 33(सी)(i) के अनुसार दो वर्ष के औसत किराये पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर देय होगा।
- 13. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन निर्णय दिनांक 13.10.2014 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाती है।
- 14. निर्णय सुनाया गया।

नत्यूराम) सदस्य

